पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)ल०सिं०– 02 / 2007 :–

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

श्री विश्वनाथ प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता, (सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता) लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो के द्वारा उक्त प्रमण्डल में वर्ष 2003–04 में स्वीकृत माईक्रोलिफ्ट योजना में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय उड़नदस्ता के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक– 3667 दिनांक– 10.07.2015 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी, जिसमें निम्न आरोप प्रतिवेदित थे :–

(i) **त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन तैयार करना** – लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो के अन्तर्गत महालक्ष्मी कन्सट्रक्सन बोकारो द्वारा निर्मित सभी 24 अद्द माईक्रोलिफ्ट योजनाओं का प्राक्कलन स्थलवार सर्वेक्षण / अनुसंधान कर तैयार नहीं किया गया है बल्कि टिपिकल नक्शे के आधार पर तैयार किया गया है। यह कार्रवाई निजी स्वार्थवश सरकार को क्षति पहुँचाने की नीयत से की गई है।

(ii) **योजना के विभिन्न अवयवों एवं कार्यमदों का बिना कार्य कराये भुगतान / अतिरेक भुगतान करना** – उपरोक्त 24 अद्द माईक्रलिफ्ट योजनाओं में से तीन अदद माईक्रोलिफ्ट योजनाओं यथा गोमिया प्रखण्ड की करमटिया, लोधी एवं तिसरी' के स्थल जाँच से यह प्रमाणित होता है कि माप पुस्त सं०–44,45 एवं 46 में इन योजनाओं की जिन अवयवों के कार्यों की मापी अंकित की गई है उक्त कार्यस्थल पर निर्मित या अधिष्ठापित नहीं कराया गया है। इस प्रकार वास्तविक कार्य से हटकर गलत मापी दर्ज कर गलत भुगतान किया गया है। अतः यथावर्णित 24 अदद योजनाओ में संवेदक को हुए कुल भुगतान रू०– 50,05,769.00 अनियमित भुगतान है।

(iii) **निर्धारित प्राक्कलन से कम कार्य करना** – विभागीय उड़नदस्ता दल द्वारा जिन 9 अदद माईक्रोलिफ्ट योजनाओं की जाँच की गई है उन सभी योजनाओं में वास्तविक कार्य निर्धारित प्राक्कलन के अनुरूप नहीं पाया गया है तथा कार्य भी प्राक्कलन से कम कराया पाया गया है।

(iv) **निम्न स्तर का कार्य करना** – स्थल जाँच में गिद्धटांड माईक्रोलिफ्ट योजना तथा दिवानगंज माईक्रोलिफ्ट योजना का कार्य अति निम्नस्तर का पाया गया है।

(v) **सभी योजनाओं का जाँच नहीं कराना** – संवेदक महालक्ष्मी कन्सट्रक्सन बोकारो द्वारा निर्मित 24 अद्द योजनाओं में से मात्र 9 अदद योजनाओं को ही जाँच दल को दिखाया गया तथा शेष 15 अदद योजनाओं को जाँच दल को नहीं दिखाये जाने के कारण जाँच संभव नहीं हुआ। जिन 9 अदद योजनाओं की जाँच की गई तथा उन योजनाओं में जिस प्रकार की अनियमिततायें पाई गई है। उससे स्पष्ट होता है कि अनियमितताओं को छिपाने के दृष्टिकोण से शेष योजनाओं की जाँच नहीं कराई गई है जो क्षेत्रीय पदाधिकारियों की गलत मंशा का द्योत्तक है तथा सरकार को दिग्भ्रमित करने की कार्रवाई है।

2. श्री शर्मा के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा, विभागीय स्तर पर की गयी। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री शर्मा के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विभागीय पत्रांक– 2074 दिनांक– 02.05.2017 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–139 के अन्तर्गत "देय पेंशन से 10% (दस) की कटौती पाँच वर्षों के लिए" का दण्ड प्रस्ताव के साथ द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की पुनः समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। श्री प्रसाद के द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में कहा गया है कि इनके द्वारा जरीडीह एवं नावाडीह प्रखण्ड में छह अदद माइक्रोलिफ्ट योजना का कुछ कार्य ही कराया गया जिसका चालू विपत्र भुगतान किया गया है। प्राक्कलन की स्वीकृति एवं निविदा का निष्पादन सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त होता है। यह भी कहा गया है कि उनके स्थानान्तरण के पश्चात् दिनांक– 26.07.2004 को अपना प्रभार श्री महादेव कुम्हार को सौंप दिया गया। परन्तु उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन में स्थलवार सर्वेक्षण किये बिना प्राक्कलन तैयार किये जाने के संदर्भ में कोई तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री विश्वनाथ प्रसाद, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके "पेंशन से 10% (दस) राशि की कटौती पाँच वर्षों के लिए" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

4. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/–
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 4481 राँची/दिनांक 20/10/17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा० एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो/श्री विश्वनाथ प्रसाद, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, मो०–अवलेशपुर (अमरा चौराहा, वृन्दावन रोड), पो०–कन्दवा, जिला–वाराणसी, उत्तरप्रदेश–221106/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

20.10.17
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव